

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 29-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1443	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.1910) दि. 29-07-2016 (कुँवर हजारीलाल दांगी, )	कृषि उपज मण्डी समिति खिलचीपुर अंतर्गत किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना ।	किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा		
1444	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्रं.2409) दि. 29-07-2016 (श्री घनश्याम पिरोनियों, )	दतिया जिले में माह जनवरी 2012 से माह मई 2016 तक की अवधि में बनाये गये बलराम तालाब का भौतिक सत्यापन जांच कमेटी द्वारा किया जाना एवं जांच कमेटी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जाँच कमेटी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी		
1445	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.2410) दि. 29-07-2016 (श्री घनश्याम पिरोनियों, )	दतिया जिले में अमानक बीज के बिलों का भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।	जाँच प्रचलन में है ।		
1446	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.161 (प्रश्न क्रं.3606) दि. 29-07-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, )	रतलाम जिले की जावरा कृषि उपज मण्डी समिति अंतर्गत पूर्ण निर्मित उपमंडी रिंगनोद, डोडर एवं कालूखेडा को शीघ्र प्रारंभ किया जाना ।	उपमंडियों को प्रारंभ करने के प्रयास किये जावेंगे ।		
1447	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.181 (प्रश्न क्रं.3679) दि. 29-07-2016 (श्री कल्याण सिंह ठाकुर, )	विदिशा जिले में केंचुआ खाद वितरण में की गई अनियमितता के संबंध में लिखे गये पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं की विस्तृत जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) उच्च स्तरीय जाँच दल गठित की गई है । (2) जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1448</b>	अतारांकित प्रश्न सं.79 (प्रश्न क्रं.2331) दि. 29-07-2016 (श्री प्रदीप अग्रवाल, )	दतिया जिले में बलराम तालाब की राशि एक ही परिवार के 4-4 लोगों को स्वीकृत किया जाना एवं मौके पर तालाब का निर्माण नहीं किये जाने एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं से निर्मित तालाबों को बलराम तालाब अंतर्गत फर्जी दस्तावेज तैयार शासन से अनुदान प्राप्त किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी ।		
<b>1449</b>	अतारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.2375) दि. 29-07-2016 (श्री उमंग सिंघार, )	परि.अता.प्र.सं. 168 (क्र. 6551) दि. 17.3.2016 के संदर्भ में उपसंचालक कृषि कटनी वर्ष 2011-12 में आर.के.व्ही.वाई. योजना में अग्रिम आहरित राशि का दुरुपयोग किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जी हों । जाँच प्रक्रियाधीन है । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर ही यथाशीघ्र निर्णय लिया जावेगा ।		
<b>1450</b>	अतारांकित प्रश्न सं.183 (प्रश्न क्रं.3636) दि. 29-07-2016 (कुँवर सौरभ सिंह, )	(1) प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के परिपत्र के पालन में म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में निराश्रित सहायता राशि के उद्धरण बाबत वैधानिक स्थिति की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना । (2) इंदौर संभाग एवं रीवा संभाग अंतर्गत मंडियों एवं कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा बकाया निराश्रित शुल्क वसूली शीघ्र किया जाना ।	(1) बकाया निराश्रित शुल्क वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है ।  (2) शेष निराश्रित शुल्क वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
<b>1451</b>	अतारांकित प्रश्न सं.202 (प्रश्न क्रं.3685) दि. 29-07-2016 (श्री जितू पटवारी, )	उप संचालक कृषि आगर (मालवा) द्वारा बीज अनुदान की राशि भुगतान किये जाने में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है ।		
<b>1452</b>	अतारांकित प्रश्न सं.203 (प्रश्न क्रं.3686) दि. 29-07-2016 (श्री जितू पटवारी, )	जिला आगर (मालवा) में जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में नियमानुसार लक्ष्यों का अनुमोदन नहीं कराये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जाँच प्रतिवेदन परीक्षण उपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1453</b>	अतारंकित प्रश्न सं.210 (प्रश्न क्रं.3699) दि. 29-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान, )	परि.अता.प्र. क्रमांक 172 दिनांक 10.3.16 के संदर्भ में श्री अश्विनी झारिया, सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी महिदपुर को अनियमितता का दोषी पाये जाने पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जॉच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह विभाग

दिनांक: 29-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1454</b>	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.40) दि. 29-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान, )	थाना महिदपुर जिला उज्जैन में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 194/2016, 195/2016, 196/2016 एवं 198/2016 के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना ।	जो भी आरोपी अज्ञात या नामजद हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी हम करवा लेंगे ।		
<b>1455</b>	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.501) दि. 29-07-2016 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, )	ग्वालियर के थाटीपुर में दिनांक 21.7.2016 को प्रदर्शनकारियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना ।	(1) इन सबको भी हम जांच में जोड़ लेंगे और इसमें जो भी आरोपी हैं हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे । इसको जांच में जोड़ लेंगे । (2) प्रकरण की पूर्ण जांच करा लेंगे । यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी होंगे उन पर भी कार्यवाही होगी । विधायक जी ने जो तथ्य रखे हैं उन सब को हम जांच से जोड़ेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 29-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1456	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1313) दि. 29-07-2016 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी, )	खरगोन जिले के बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के अंतर्गत ग्राम घोसला, डुडगांव, भोगवां-निपानी एवं ग्राम डाल्याखेड़ी आदि ग्रामों में कराये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) शीघ्र इन्हें पूर्ण कर लिया जायेगा। (2) जांच करा लेंगे।		
1457	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.2767) दि. 29-07-2016 (श्री सुन्दरलाल तिवारी, )	बी.आर.जी.एफ. योजना बंद हो जाने के बाद हटाये गये 16 उपयंत्रियों को मानवीय आधार पर समायोजित कर पुनः सेवा में लिया जाना।	हम पूरी सहानुभूति के साथ इनके लिए उसमें समायोजित करने के बारे में विचार कर लेंगे।		
1458	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.3569) दि. 29-07-2016 (श्री कुंवर सिंह टेकाम, )	सीधी एवं सिंगरौली जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र मरम्मत कराया जाना एवं निर्माणाधीन अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	(1) जल्दी से जल्दी इन सड़कों को पूर्ण कर लिया जायेगा जिनका अनुरक्षण करना है वह भी एक समय-सीमा में जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है वह कर लिया जायेगा। (2) गड्डे भरवाने का काम हम करा देंगे।		
1459	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.2454) दि. 29-07-2016 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, )	इंदौर-भोपाल हाईवे मार्ग के निकट ग्राम राजोदा से ग्राम जलोदिया मार्ग की बीच नाले पर पुलिया का निर्माण कराया जाना।	मैं इस पर विचार कर लूंगा कि मनरेगा के अंतर्गत उसमें क्या हो सकता है कर लेंगे।		
1460	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.189) दि. 29-07-2016 (श्री दिलीप सिंह शेखावत, )	उज्जैन जिले के नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्रों में गरीबी रेखा सूची (बी.पी.एल.) में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की जांच कराई जाकर पात्र आवेदकों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़ा जाना।	(1) जिन पात्र बीपीएल कार्डधारियों के नाम गैर वाजिब ढंग से काटे गए होंगे, उनके नाम हम पुनः जुड़वा देंगे। (2) जो लोग भी बीपीएल कार्ड हेतु पात्र होंगे, उनके नाम हम जुड़वा देंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1461	तारंकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.2686) दि. 29-07-2016 (श्री नथनशाह कवरेती, )	छिन्दवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधान सभा क्षेत्र में चिकट बर्री से गुरेखुरईमक, साजकुही से खमरा, चिकटबर्री से भालेआम एवं डोगरा बी.सी.के. एच.सी. करेआम (पातालकोट) की निर्मित सड़कों के निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	मैं जांच का ही तो कह रहा हूं, हम विभाग के अधिकारी भेजकर जांच करवा लेंगे।		
1462	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.2271) दि. 29-07-2016 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, )	भिण्ड जिले की जनपद पंचायत मेहगाँव के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचैरा (मेहगाँव) के सरपंच/सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जिसकी जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच की जा रही है।		
1463	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.2318) दि. 29-07-2016 (श्रीमती सरस्वती सिंह, )	सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा अंतर्गत अकला सैलवार मार्ग के परेवा नाला पर निर्माणाधीन पुल का अपूर्ण कार्य अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की जवाब देही तय किये जाने हेतु जिला पंचायत सिंगरौली को 21 जुलाई 2016 को निर्देशित किया गया है।		
1464	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.2605) दि. 29-07-2016 (श्री मुकेश नायक, )	बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत पैकेज क्रमांक 904 में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्य की जाँच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई।		
1465	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.3001) दि. 29-07-2016 (श्रीमती ममता मीना, )	ग्राम पंचायत हिलगना जनपद पंचायत गुना, जिला गुना द्वारा शासकीय सेवक के नाम नियम विरुद्ध चेक से राशि का भुगतान किये जाने एवं नियम विरुद्ध शासकीय कर्मचारी से सामग्री क्रय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) विभागीय जाँच प्रस्तावित कर आरोप पत्रादि जारी किये गये है। (2) विभागीय जाँच प्रस्तावित की गई है। (3) प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।		
1466	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.187 (प्रश्न क्रं.3696) दि. 29-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान, )	ग्राम पंचायत पेटलावद जनपद पंचायत महिदपुर जिला उज्जैन में माह जनवरी 2010 से माह दिसम्बर 2014 तक की अवधि में कराये गये कार्यों में वित्तीय अनियमितता की तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच का शीघ्र अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। (2) अंतिम जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1467	अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.44) दि. 29-07-2016 (श्री मुकेश पण्ड्या, )	वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में उज्जैन जिले की बड़नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोषी के विरुद्ध जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		
1468	अतारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.431) दि. 29-07-2016 (श्रीमती नंदनी मरावी, )	पंचायत राज संचालनालय के राजपत्रित भर्ती नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सहायक संचालकों के रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित कर की जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
1469	अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.2013) दि. 29-07-2016 (श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा), )	जिला अशोकनगर के विकासखण्ड ईसागढ़ में लंबित बी.पी.एल. कार्ड हेतु पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है। जिनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा (एक माह) में पूर्ण कर दिया जायेगा।		
1470	अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.2376) दि. 29-07-2016 (श्री उमंग सिंघार, )	कटनी जिले की ग्राम पंचायत कुठिया मुहगवां में की गई अनियमितताओं की जांच में जांच निष्कर्ष के आधार पर मा. उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जाना।	जांच में आंशिक अनियमितता पाई जाने से संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1471	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.443) दि. 29-07-2016 (श्री दुर्गालाल विजय, )	प्रदेश के अनेक जिलों में खरीफ फसलों हेतु डी.ए.पी. खाद सहकारी समितियों द्वारा बाजार दर से अधिक कीमत पर किसानों को बेचे जाने की जांच एवं किसानों से अधिक वसूली की राशि वापस कराई जाना।	(1) यदि इसके बाद ज्यादा लिया गया होगा तो उसके पैसे वापस किए जाएंगे। (2) यदि उसके बाद भी किसानों से पैसा ज्यादा लिया गया है तो वापस किया जाएगा। (3) जैसा विधायक जी ने कहा है हम जांच कराएंगे और मैंने पहले भी कहा है कि यदि पैसा ज्यादा लिया गया होगा तो उनको वापस किया जाएगा और जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।		
1472	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.465) दि. 29-07-2016 (श्री केदारनाथ शुक्ल, )	जिला पंचायत सीधी में नरेगा, पंचायत प्रकोष्ठ, वाटर शेड योजना के कार्यों में प्रभारी अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने के जांच कराई जाना एवं नरसिंहपुर में पदस्थी के दौरान ट्रेप केस में लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण में शीघ्र अभियोजन की स्वीकृति दी जाना।	(1) जल्दी से जल्दी अभियोजन की स्वीकृति दी जायेगी। (2) जांच करा लेंगे।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 29-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1473	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.2788) दि. 29-07-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह, )	रीवा जिले की तहसील त्योंथर एवं मऊगंज सहित अन्य तहसीलों में शासकीय तालाबों पर भू-माफियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर किये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना ।	(1) हम जांच करा देंगे । (2) आप जो सूची मुझे देंगे उसकी मैं जांच करा दूंगा ।		
1474	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.614) दि. 29-07-2016 (श्री दुर्गालाल विजय, )	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित बसाहट गांव, मजरे टोले को शीघ्र राजस्व ग्राम/आबादी भूमि घोषित किया जाना ।	मजरा-टोलों के आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे है ।		
1475	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.2359) दि. 29-07-2016 (श्री शंकर लाल तिवारी, )	सतना जिले में वर्ष 1959 की भू-स्वामी या शासकीय स्थिति के आधार पर शासकीय भूमियाँ खुर्द-बुर्द होने की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जॉचोपरान्त दोषियों/अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
1476	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.2525) दि. 29-07-2016 (श्री प्रहलाद भारती, )	शिवपुरी जिले की तहसील बैराड में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना एवं नया तहसील भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है । (2) जी हों । कार्यवाही प्रचलन में है ।		
1477	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.2633) दि. 29-07-2016 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, )	गुना जिला अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2015-16 में वन अधिकार पट्टाधारी समस्त किसानों की स्वीकृत राहत राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना ।	राहत राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1478</b>	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.2765) दि. 29-07-2016 (श्री भंवर सिंह शेखावत, )	(1) धार जिले में शासकीय भूमि तालाब, गोचर, विद्यालय एवं अन्य शासकीय परिसर पर कतिपय लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना । (2) बदनावर विधान सभा क्षेत्र की शासकीय भूमि को आवादी भूमि घोषित करने की कार्यवाही शीघ्र क्रिया जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलित है । (2) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।		
<b>1479</b>	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.150 (प्रश्न क्रं.3545) दि. 29-07-2016 (श्री कैलाश चावला, )	मंदसौर जिले में पटवारियों की मिलीभगत से जमीनों की हेराफेरी किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
<b>1480</b>	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.159 (प्रश्न क्रं.3600) दि. 29-07-2016 (श्री रामनिवास रावत, )	पटवारी चयन परीक्षा 2005-06 में चयनित पटवारियों की मा.उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्योपुर जिले में पदस्थापना की जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।		
<b>1481</b>	अतारंकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.1878) दि. 29-07-2016 (श्री महेन्द्र सिंह, )	पन्ना जिले में म.प्र. भू-अभिलेख नियमावली प्रावधानानुसार शेष पटवारियों को पात्रतानुसार स्थाईकरण किया जाना ।	शेष पटवारियों के पात्रता के अनुसार स्थाईकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है ।		
<b>1482</b>	अतारंकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.2169) दि. 29-07-2016 (श्री अनिल जैन, )	टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में आर.आई. एवं पटवारियों के स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना ।	रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा ।		
<b>1483</b>	अतारंकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.2733) दि. 29-07-2016 (श्री यादवेन्द्र सिंह, )	(1) सतना जिले में पदस्थ तहसीलदार श्री महेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही । (2) कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 23.3.2016 द्वारा सतना जिले में वर्ष 1959 के बंदोबस्ती अभिलेख की शासकीय भूमियों में पतासाजी करने एवं शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द किये जाने के संबंध में जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जाँच पूर्ण होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । (2) गठित समिति द्वारा विस्तृत जाँच की जा रही है । जाँच उपरांत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1484</b>	अतारंकित प्रश्न सं.162 (प्रश्न क्रं.3509) दि. 29-07-2016 (श्री अमर सिंह यादव, )	राजगढ़ जिले में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सहकारिता विभाग

दिनांक: 29-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1485	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.3674) दि. 29-07-2016 (श्री हर्ष यादव, )	सतना एवं रायसेन जिले में कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर एवं अन्य हार्ड वेयर खरीदी में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में जांच आदेशित की गई है, शेष जांच निष्कर्षाधीन है ।		
1486	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.3517) दि. 29-07-2016 (श्री रामलाल रौतेल, )	ता.प्र.सं.17(क्र. 4548) दिनांक 17.3.2016 के संदर्भ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. अमरपाटन जिला सतना के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के जांच अधिकारी द्वारा समय सीमा में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	विभागीय जाँच करने वाले अधिकारी श्री रोशनलाल द्विवेदी को समयावधि में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण आरोप पत्र जारी किये गये है ।		
1487	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.3268) दि. 29-07-2016 (डॉ. मोहन यादव, )	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उज्जैन एवं शाखाओं में वर्ष 2012 से मार्च 2016 की अवधि में मुद्रण कार्य में अनियमितता किए जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । (2) विस्तृत जाँच कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।		
1488	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.153 (प्रश्न क्रं.3573) दि. 29-07-2016 (श्री कुंवर सिंह टेकाम, )	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीधी द्वारा ट्रेक्टर ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (3) श्री सुखनाथ पटेल, संविदा समिति सेवक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1489</b>	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.166 (प्रश्न क्रं.3617) दि. 29-07-2016 (श्री अजय सिंह, )	विदिशा जिले की विपणन सहकारी समिति मर्या. गंजबासौदा, विदिशा, ग्यारसपुर, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं नटेरन में अकृषि समितियों की सदस्यता के संबंधमें माह जनवरी 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक की अवधि में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	पृथक से जाँच कराई जा रही है, जाँच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
<b>1490</b>	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.188 (प्रश्न क्रं.3697) दि. 29-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान, )	कृषक सेवा सहकारी समिति बैजनाथ-महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा 1.1.2005 से 31.12.2015 तक की अवधि में संस्था के कृषकों को उर्वरक वितरण में की गई अनियमितता की जांच में दोषी पाये सहायक संस्था प्रबंधक सहित अन्य के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) अध्यक्ष को दिनांक 08.07.2016 को निर्देश दिये गये । (2) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध राशियों की वसूली सेवा-नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही तथा एफ.आई.आर. कराने के निर्देश दिये गये ।		
<b>1491</b>	अतारंकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.1418) दि. 29-07-2016 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, )	विपणन सहकारी संस्था अटेर जिला भिण्ड में संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं अनियमित रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना ।	कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं अनियमित रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।		
<b>1492</b>	अतारंकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्रं.3086) दि. 29-07-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह, )	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद की मुख्य शाखा हरदा की सहकारी समिति कडोला द्वारा नियम विरुद्ध ओव्हर लिमिट का नवीनीकरण किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के उत्तरदायित्व हेतु जाँच आदेशित की गई है । शेष जाँच निष्कर्षाधीन है ।		
<b>1493</b>	अतारंकित प्रश्न सं.148 (प्रश्न क्रं.3369) दि. 29-07-2016 (श्री शैलेन्द्र पटेल, )	विदिशा जिले की प्राथमिक व जिला स्तरीय संस्थाओं में माह अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अविध में नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक किया जाना एवं नियोक्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक करने एवं उनके नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1494</b>	अतारंकित प्रश्न सं.171 (प्रश्न क्रं.3598) दि. 29-07-2016 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल, )	कटनी जिले की संस्था रैपुरा एवं बड़गांव द्वारा कृषकों से फसल बीमा हेतु वसूल की गई बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को नहीं भेजे जाने के कारण फसल बीमा क्लेम की राशि किसानों को भुगतान न किये जाने के कारण संबंधित दोषी कर्मचारियों से शीघ्र वसूल की जाना ।	राशि की वसूली दोषी कर्मचारियों से किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
<b>1495</b>	अतारंकित प्रश्न सं.193 (प्रश्न क्रं.3661) दि. 29-07-2016 (श्री कुंवर सिंह टेकाम, )	सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीधी अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति शीघ्र निरस्त किया जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।		
<b>1496</b>	अतारंकित प्रश्न सं.205 (प्रश्न क्रं.3690) दि. 29-07-2016 (श्री बाला बच्चन, )	(1) मेसर्स त्रिकुटा कोल्ड स्टोरेज ऋण प्रकरण में अंकेक्षण आक्षेप एवं विशेष प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं वसूली की कार्यवाही की जाना । (2) उक्त प्रकरण के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
<b>1497</b>	अतारंकित प्रश्न सं.206 (प्रश्न क्रं.3691) दि. 29-07-2016 (श्री बाला बच्चन, )	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद की मुख्य शाखा हरदा में हुई वित्तीय अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाना । (2) वर्ष 2016 में बैंक की शाखा खिरकिया, सिराली, टिमरनी, सिवनी बानापुरा में गेहूँ खरीदी में अधिक खर्च करने के संबंध में अनियमित भुगतान किये जाने पर दोषियों से राशि की वसूली तथा सेवा नियम के अंतर्गत संबंधितों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाना।	(1) श्री सारन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का निर्णय लिया गया । (2) अनियमित भुगतान किये जाने की स्थिति में दोषियों से राशि की वसूली तथा सेवा-नियम के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग नर्मदापुरम को दिये गये है ।		